अनुदान संख्या 90 – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
GRANT No. 90 - DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	822,26,00	922,28,00	895,57,56	-26,70,44
पूरक	Supplementary	100,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				26,70,05
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		32,74,00	32,74,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2670.44 लाख) जुलाई, 2017 दिसम्बर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹10002.00 लाख के पूरक अनुदान का 27 प्रतिशत एवं कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2670.44 lakhs) constituted 27 percent of the supplementary grants of ₹10002.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1709.00			
			1820.40	1820.08	-0.32
पु.	R.	111.40			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	66717.00			
पू.	S.	8847.00	72933.49	72933.43	-0.06
पु.	R.	-2630.51			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7300.00			
पू.	S.	789.00	..	..	..
पु.	R.	-8089.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	6500.00			
पू.	S.	366.00	14804.06	14804.05	-0.01
पु.	R.	7938.06			

(I) ₹8089.50 लाख का प्रावधान (₹789.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹7654.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" – "समाज कल्याण – विकलांगों का कल्याण" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹8089.50 lakhs (including supplementary grant of ₹789.00 lakhs) remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹7654.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - under the following heads:-

(का) "सहायक सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता" – ₹2000.00 लाख (₹789.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(A) "Assistance to Disabled Persons for Purchase/fittings of Aids and Appliances" - ₹2000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹789.00 lakhs);

(खा) "निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, के लिए कार्यान्वयन के लिए स्कीमें" – ₹3120.00 लाख;

(B) "Schemes for implementation for Persons with Disabilities Act" - ₹3120.00 lakhs;

(गा) "दीनदयाल निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास स्कीम" – ₹500.00 लाख;

(C) "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme" - ₹500.00 lakhs;

(घा) "राष्ट्रीय संस्थानों को निधीयन संबंधी स्कीम" – ₹1200.00 लाख; और

(D) "Scheme for Funding to National Institutes"- ₹1200.00 lakhs; and

(ङ) "राष्ट्रीय ट्रस्ट को बजटीय सहायता" – ₹594.00 लाख;

(E) "Budgetary Support to National Trust" - ₹594.00 lakhs.

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के लिए अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(चा) "दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" – ₹240.00 लाख – पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(F) "National Fellowship for Persons with Disabilities" - ₹240.00 lakhs - due to non-receipt of adequate proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण" के अंतर्गत प्राप्त किए गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2235" - "Social Welfare" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "दिव्यांगजन का कल्याण – अन्य स्कीम" – ₹29402.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8478.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹37880.00 लाख कर दिया

(A) "Welfare of Handicapped - Other Schemes" - the original provision of ₹29402.00 lakhs was augmented to ₹37880.00 lakhs by obtaining

गया, तथापि, जो ₹2203.05 लाख की सीमा तक कार्यान्वय एजेंसियों से कम प्रस्तावों/आवेदनों की प्राप्ति होने, स्टेशनरी मदों की कम अधिप्राप्ति होने और "पुनर्वास विज्ञान और विकलांगता अध्ययन के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय" स्कीम के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

supplementary grant of ₹8478.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2203.05 lakhs - due to receipt of less proposals/applications from the implementing agencies, procurement of less stationary items and non-finalisation of Cabinet Note for the scheme "National University of Rehabilitation Science and Disability Studies".

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – सामाजिक कल्याण – विकलांगों का कल्याण" – ₹4956.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹368.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5324.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹118.88 लाख की सीमा तक कार्यान्वयन एजेंसियों से पूर्ण/पर्याप्त प्रस्तावों और आवेदनों की प्राप्ति न होने और मितव्ययिता के उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Social Welfare - Welfare of Handicapped" - the original provision of ₹4956.00 lakhs was augmented to ₹5324.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹368.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹118.88 lakhs - due to non-receipt of complete/adequate proposals and applications from the implementing agencies and austerity measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य कार्यक्रम – सूचना एवं जनशिक्षा प्रकोष्ठ" – ₹3360.86 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों को न किए जाने और मितव्ययिता के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(A) "Other Programmes - Information and Mass Education Cell" - saving of ₹3360.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-taking up of advertising and publicity activities and austerity measures.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – समाज कल्याण – विकलांग का कल्याण" – ₹523.69 लाख लाख की बचत (₹9792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और मितव्ययिता के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Welfare of Handicapped" - saving of ₹523.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9792.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from the implementing agencies and austerity measures.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹11527.06 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1156.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹11527.06 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1156.00 lakhs - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – विकलांगों का कल्याण – नेत्रहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंद एवं अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तार एवं सुधार" – ₹3589.00 लाख।

(A) Major Head "2235"- "Social Welfare - Welfare of Handicapped - Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopaedically Handicapped" - ₹3589.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes"-

(क) "केन्द्रीय सहायता/शेयर – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम" – ₹6457.06 लाख।

(a) "Centrally Assistance/Share - Scheme for differently abled Persons" - ₹6457.06 lakhs.

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम" – ₹1000.00 लाख। तथापि, वास्तविक व्यय ₹999.99 लाख था।

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for differently abled Persons" -₹1000.00 lakhs.Actual excess, however, was ₹999.99 lakhs.

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – दिव्यांगजनों के लिए स्कीम" – ₹481.00 लाख।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Scheme for differently abled Persons" - ₹481.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹111.08 लाख का अधिक व्यय (₹1709.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेलीफोन बिलों, सांविदात्मक स्टाफ को रखे जाने तथा वाहनों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2251"- "Secretariat - Department of Empowerment of Persons with Disabilities" - excess of ₹111.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1709.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards telephone bills, hiring of vehicles and contractual staff.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3 In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	2974.00	3274.00	3274.00	..
पु.	R.	300.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	300.00	..	..	..
पु.	R.	-300.00			

(I) ₹300.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" – "समाज कल्याण – सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹300.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Social Welfare - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Handicapped Finance and Development Corporation" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4235" – "समाज कल्याण – सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹2224.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were offset by excess under Major Head "4235" - "Social Welfare - Investments in Public Sector and Other Undertakings-National Handicapped Finance and Development Corporation" - excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2224.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.